(88)

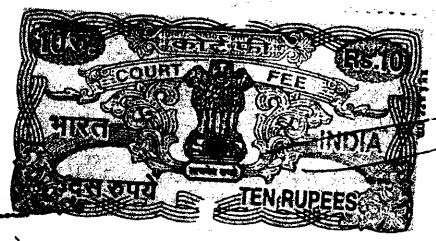

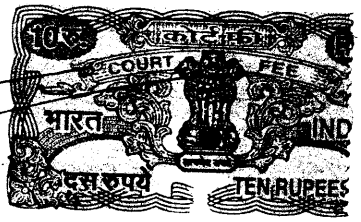

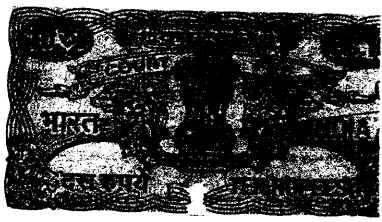

द्वारा आज दि. 7-2-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. R 587 - 7 - 17 ..../................/............................

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री केशलाल मार्को उम्र लगभग 45 साल पिता श्री अमानी सिंह मार्को, जाति गौड़ (आदिवासी) निवासी-म.नं.78, ग्राम इन्द्रा पिपरिया, थाना बरेला, तहसील व जिला जबलपुर

विरूद्ध

अनावेदक - 1. श्री विष्णू प्रसाद साहू उम्र 54 वर्ष पिता स्व.श्री हजारी लाल साहू (गैर आदिवासी)
निवासी-म.नं.271, गोहलपुर जागृति नगर, अमखेरा, तह. पनागर, जिला जबलपुर

2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **102/अ-21/2014-15** में पारित **अंतरिम आदेश** दि. 30/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी श्री केशलाल मार्को उम्र लगभग 45 साल पिता श्री अमानी सिंह मार्को, जाति गौड़ (आदिवासी) निवासी-म.नं.78, ग्राम इन्द्रा पिपरिया, थाना बरेला, तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **देवरीकला** प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. क्रमशः 73/1, 73/2, 75, 79/1, 79/2, 82/1 रकवा क्रमशः 0.630 हे., 0.630 हे., 1.070 हे., 0.06 हे., 0.06 हे., 0.210 हे. इस प्रकार कुल रकवा 2.66 हेक्टेयर भूमि अनावेदक गैर आदिवासी (1) श्री विष्णू प्रसाद साहू उम्र 54 वर्ष पिता श्री स्व.हजारी लाल साहू, निवासी म.नं.271, गोहलपुर, जागृति नगर, अमखेरा तह.पनागर, जिला जवलपुर वालों को विक्रय करने की अनुमति हेतु

NOTARY
MOHAMMED ASHFAQUE
JABALPUR DIST M.P
Regd. No.7829
GOVT. OF INDIA
- 5 FEB 2017

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 587-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 102/अ-21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30-1-17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की ग्राम देवरीकलां प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 73/1, 73/2, 75, 79/1, 79/2, 82/1 रकबा क्रमशः 0.630, 0.630, 1.070, 0.060, 0.060 एवं 0.210 हैक्टर भूमि गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक 19-8-15 को पंजीबद्ध कर प्रकरण जांच कर प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन तहसीलदार को भेजा गया । तहसीलदार ने जांच कर तथा उभयपक्षों के कथन लेकर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा पुनः दिनांक 11-7-16 को वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन के आधार जांच कर स्पष्ट अभिमत हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी से 6 माह तक प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर आवेदक द्वारा दिनांक 30-1-17 द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया गया जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया गया है, उनके इस आदेश	

R 587-/17-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन को प्रस्तुत किये लगभग 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है परंतु निराकरण नहीं किया गया है इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण को लंबित रखना चाहते हैं । यह भी कहा गया कि आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की स्वअर्जित भूमि है । आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को क्रय करने को तैयार नहीं है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि प्रस्तावित क्रेता उन्हें वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन से अधिक मूल्य देने को तैयार हैं, यह बात आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कही गई थी जिस पर कोई विचार नहीं किया गया है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदित भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 8.95 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । आवेदक के साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । अंत में उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को समाप्त कर प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया है । 3/ आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण से संबंधित प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया । मेरे द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों, जिलाध्यक्ष न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं तहसीलदार तथा अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो प्रतिवेदन	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 587-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रेषित किया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, आवेदक के पास क्रय करने के उपरांत आई है । आवेदित भूमि कम असिंचित एवं एक फसली है आवेदक अपनी भूमि को शेष बची हुई भूमि को अपनी शेष भूमि के विकास हेतु भूमि विक्रय करना चाहता है । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । प्रस्तावित विक्रय में आवेदक पर कोइ दबाव/प्रलोभन नहीं है । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 8.95 हैक्टर भूमि शेष बचती है । जिलाध्यक्ष द्वारा 2016-17 की गाइड लाइन के आधार पर गणना करने के निर्देश दिए गए हैं । चूंकि आवेदक द्वारा अपने तर्कों में यह बात कही गई है कि वे वर्तमान गाइड लाइन 2016-17 के अनुसार या उससे अधिक मूल्य प्राप्त होने पर ही भूमि का विक्रय करेंगे और क्रेतागण वर्तमान गाइड लाइन के अनुसार मूल्य देने को सहमत हैं, ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन मंगाये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम देवरीकलां प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 73/1, 73/2, 75, 79/1, 79/2, 82/1 रकबा क्रमशः 0.630, 0.630, 1.070, 0.060, 0.060 एवं 0.210 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक 1 को	

R. 587. I/17 केशलाल विरूद्ध विष्णु आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :- 1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । 3- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	